न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0 21 /2025

तारीखरजू:– 23/5/25

उनवान:– जयराम बनाम बाबूलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
23/5/25	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **गैरसायलान को आगामी पेशी** तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 718/0.10, 719/0.20 है0 ग्राम मेरेडा तहसील टोडाभीम मे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	1708 23/5/25
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30/5/2025 से तलब की गई। प्रार्थी वकील ने इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया कि [illegible] के मध्य आपसी [illegible] हो गया है। प्रार्थना पत्र को लड़ना नहीं चाहते है।	Not pressed [illegible] plaintiff 28/5/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:36 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
	एव मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।
	प्रार्थी वकील के प्रार्थना का अवलोकन किया प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की पत्रावली मे आदेशिका पर उपस्थित होकर नोटशीट करने बाबत इच्छाजाहिर किये प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:30:36 IST
Reason: SelfAttested